न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण [illegible]

प्रकरण सं0 : 40/2021

1. चान्दपाल पुत्र नेतराम जाति कुम्हार निवासी मेहरिया त0 भादरा। :- वादी

ब ना म

1. नेतराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. हवासिंह
3. कुरडाराम
4. बलवान

(2 से 4) पि0 नेतराम निवासी मेहरिया त0 भादरा।

5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री खेताराम कस्वां : वादी
वकील श्री अमित देहडू : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 26.02.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 36/33 के खसरा सं0 285/2 की 16.7050है0, खसरा सं0 286 की 0.1770है0 कुल 16.8820है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम 126 हिस्सा व रोही मेहरिया के खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 6 की 2.2770है0, खसरा सं0 7 की 1.1140है0, खसरा सं0 10/1 की 1.0120है0, खसरा सं0 37 की 1.4420है0, खसरा सं0 38/1 की 0.0880है0, खसरा सं0 176/3 की 0.3800है0 कुल 6.3130है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम से व रोही मोजा शेरडा के खाता सं0 209/207 के खसरा सं0 530/3 की 1.2140है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता जेठाराम की खातेदारी हुआ करती थी। जेठाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 नेतराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। [illegible] राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली [illegible] करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:44 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में [illegible] जाति कुम्हार निवासी मेहरिया के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम [illegible] खाता सं0 36/35 संवत 2077–80 प्रदर्श 1, जमाबंदी [illegible] मेहरिया खाता सं0 37/[illegible] संवत 2077–80 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2075–78 खाता सं0 209/207 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही शेरडा खाता सं0 111/105 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही मेहरिया संवत

Scanned with CamScanner

2057-60 खाता सं0 21/21 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही मेहरिया खाता सं0 36/33 प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस जनाबान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मेहरिया व शेरडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 7 में वारिसप्रमाण पत्र में नेतराम के चार पुत्र हवासिंह, चान्दपाल, कुरडाराम व बलवान के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा मेहरिया के खाता सं0 36/33 के खसरा सं0 285/2 की 16.7050है0, खसरा सं0 286 की 0.1770है0 कुल 16.8820है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम 126 हिस्सा व रोही मेहरिया के खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 6 की 2.2770है0, खसरा सं0 7 की 1.1140है0, खसरा सं0 10/1 की 1.0120है0, खसरा सं0 37 की 1.4420है0, खसरा सं0 38/1 की 0.0880है0, खसरा सं0 176/3 की 0.3800है0 कुल 6.3130है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम से व रोही मोजा शेरडा के खाता सं0 209/207 के खसरा सं0 530/3 की 1.2140है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 36/33 के खसरा सं0 285/2 की 16.7050है0, खसरा सं0 286 की 0.1770है0 कुल 16.8820है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम 126 हिस्सा व रोही मेहरिया के खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 6 की 2.2770है0, खसरा सं0 7 की 1.1140है0, खसरा सं0 10/1 की 1.0120है0, खसरा सं0 37 की 1.4420है0, खसरा सं0 38/1 की 0.0880है0, खसरा सं0 176/3 की 0.3800है0 कुल 6.3130है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम से व रोही मोजा शेरडा के खाता सं0 209/207 के खसरा सं0 530/3 की 1.2140है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को वहिस्सा वरावर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि वैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी चान्दपाल, प्रतिवादी सं0 1 नेतराम, प्रतिवादी सं0 2 हवासिंह, प्रतिवादी सं0 3 कुरडाराम व प्रतिवादी सं0 4 वलवान को वहिस्सा वरावर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड [illegible] किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्ची डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:44 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 40/2020

1. चान्दपाल पुत्र नेतराम जाति कुम्हार निवासी मेहरिया त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. नेतराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. हवासिंह
3. कुरडाराम — पि0 नेतराम निवासी मेहरिया त0 भादरा।
4. बलवान
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री खेताराम करवां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अमित देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 36/33 के खसरा सं0 285/2 की 16.7050है0, खसरा सं0 286 की 0.1770है0 कुल 16.8820है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम 126 हिस्सा व रोही मेहरिया के खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 6 की 2.2770है0, खसरा सं0 7 की 1.1140है0, खसरा सं0 10/1 की 1.0120है0, खसरा सं0 37 की 1.4420है0, खसरा सं0 38/1 की 0.0880है0, खसरा सं0 176/3 की 0.3800है0 कुल 6.3130है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम से व रोही मोजा शेरडा के खाता सं0 209/207 के खसरा सं0 530/3 की 1.2140है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 नेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी चान्दपाल, प्रतिवादी सं0 1 नेतराम, प्रतिवादी सं0 2 हवासिंह, प्रतिवादी सं0 3 कुरडाराम व प्रतिवादी सं0 4 बलवान को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.02.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:44 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner